भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 543
25 जुलाई, 2024 को उत्तर देने के लिए

ग्रामीण क्षेत्रों में एफपीआई

543. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव सहित देश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने को प्राथमिकता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफपीआई) को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है ताकि देश की ग्रामीण आबादी को रोजगार मिल सके;

(ग) इस संबंध में निर्धारित/खर्च किए जाने के लिए प्रस्तावित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एफपीआई को बढ़ावा देने से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने ग्रामीण परिवारों को लाभ होने का अनुमान है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव सहित पूरे देश में मूल्य श्रृंखला अवसंरचना के विकास के माध्यम से रोजगार के अवसरों के सृजन का समर्थन कर रहा है ।

(ख) और (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस क्षेत्र के विकास के लिए तीन योजनाएं नामतः प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस-एफपीआई) कार्यान्वित कर रहा है । ये योजनाएं किसी क्षेत्र या राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र विशेष की नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं और पूरे देश में कार्यान्वित की जाती हैं।

पीएमकेएसवाई में 14वें एवं 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए 11,520 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पीएमकेएसवाई की उप-योजनाओं के तहत, खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए उद्यमियों को ज्यादातर ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान करता है।

पीएमएफएमई योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए प्रचालन में है। पीएमएफएमई योजना के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दो लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है।

पीएलआईएस-एफपीआई को वर्ष 2021-22 से 2026-27 तक छह वर्ष की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियन सृजन और अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना है।

(घ): दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव सहित उक्त तीन योजनाओं के अंतर्गत अपेक्षित रोजगार अवसर सृजन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है ।

*****

अनुबंध

दिनांक 25 जुलाई 2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले" ग्रामीण क्षेत्रों में एफपीआई" से संबंधित अतारांकित प्रश्न 543 के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अपेक्षित रोजगार अवसर सृजन (संख्या में)		
		पीएमकेएसवाई के तहत	पीएमएफएमई के अंतर्गत	पीएलआईएस-एफपीआई के अंतर्गत
1	अंडमान और निकोबार	600	54	0
2	आंध्र प्रदेश	86005	16320	48758
3	अरुणाचल प्रदेश	3313	165	0
4	असम	29274	4476	874
5	बिहार	11125	43353	8712
6	चंडीगढ़	0	15	0
7	छत्तीसगढ	6126	1869	100
8	**दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव**	**700**	**21**	**0**
9	दिल्ली	333	684	0
10	गोवा	458	213	2700
11	गुजरात	89132	1317	19552
12	हरियाणा	30644	3285	4416
१३	हिमाचल प्रदेश	22196	4005	2600
14	जम्मू और कश्मीर	8878	2481	144
15	झारखंड	37	5469	232
16	कर्नाटक	32989	13362	13008
17	केरल	17748	11376	2972
18	लद्दाख	0	198	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	24542	13893	13554
21	महाराष्ट्र	125410	51645	37686
22	मणिपुर	1106	795	0
23	मेघालय	924	297	0
24	मिजोरम	1955	81	0
25	नागालैंड	8911	657	0
26	ओडिशा	19492	4464	4466
27	पांडिचेरी	600	360	0
28	पंजाब	35837	6759	2446
29	राजस्थान	18767	1887	8114
30	सिक्किम	37	159	0
३१	तमिलनाडु	45869	36660	15560
32	तेलंगाना	26695	17613	3504
33	त्रिपुरा	1245	366	0
34	उत्तर प्रदेश	49067	31146	24234
35	उत्तराखंड	656122	2091	500
36	पश्चिम बंगाल	14092	111	4468
	कुल	**1370229**	**277647**	**218600**